matters right and see that a probe is instituted regarding recruitment system and policy? Will you kmdly assure the House that the organizational set-up would be controlled not by the bureaucrats but by the non-officials and the distribution system of the seeds by the Seeds Corporation and the State Farms would be streamlined?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA So far as the supply of seeds is concerned probably this year the position has been very satisfactory and we have received absolutely no complaints regarding that

SHRI K LAKKAPPA This is not a fact I am myself a farmer and the seeds supplied by the Seeds Corporation did not germinate

The entire organizational set-up and the recruitment and promotion policy of these Corporations is in shambles Will you kindly have a probe in the matter?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA The recruitment is done according to the Articles of Association of these two organizations

श्री राम विलास पासवान अध्यक्ष जी, इस के पहले के सत्र मे जब राष्ट्रीय बीज निगम के सम्बन्ध म प्रश्न का उत्तर दिया गया था तो बताया गया था कि इस निगम में ज्वाइन मेनेजर से चौकीदार तक जो पद है उन मे हरिजनो और आदिवासियों की सख्या नगण्य है तो क्या अभी यही स्थिति चल रही है ? जो जानकारी हमे मिलती है या हमारे पास आवेदन-पत्र आते है उन से पता लगता है कि इन वर्गों के लोगो की सीनियर होने और उनमे योग्यता होने के बावजद अवहेलना की जाती है । लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि इन वर्गों के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाएगा । मै मत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब कोई नियुक्ति होती है या किसी पद पर प्रमोशन होती है तो क्या वे स्वय यह देखते है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग उस पद के लिए उपलब्ध है या नही या ऐसे ही उनके आवेदन-पत्रो को एक तरफ कर दिया जाता है जिससे उन पर कोई कार्यवाही न हो सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : स्वय तो जानकारी हासिल नही की जा सकती है । लेकिन डिपार्टमेंट को यह कहा हुआ है कि पिछड़ी जाति और शेडयल्ड कास्ट्स के लोगो का पूरा ध्यान रखा जाए । अगर किसी जगह उनका रिप्रेजेन्टेशन पूरा नही है और माननीय सदस्य मुझे बताये तो उस को देखा जाएगा ।

Self Financing Housing Scheme of DDA

*193 SHRI KANWAR LAL GUPTA Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) whether the response to DDA s new Self Financing Scheme for a house by depositing the amount of Rs 10 000/ is not encouraging

(b) how many persons have deposited the money so far,

(c) what is the detailed scheme of DDA to construct 40 000 tenements in a year in Delhi,

(d) what are the relaxations which DDA/Government propose to make to encourage housing in Delhi

(e) have Government allowed private agencies to go for housing in Delhi, and

(f) will Government allow the new housing co-operative societies to build houses in the Capital?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी नहीं

(ख) 1530 व्यक्ति ।

(ग) से (ङ). दिल्ली विकास प्राधिकरण का 10,000 मकान प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त पब्लिक तथा प्राइवेट संगठित सैक्टरों को जनता को आवंटन के लिए नीति के अनुसार मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है

(च) यह मामला विचाराधीन है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: May I make a submission, Sir? Kindly see part (d) of my question "what are the relaxations which DDA/Government proposed to make to encourage housing in Delhi?" I think that has not been replied. Kindly ask him to reply to that.

MR. SPEAKER: Part (d) has not been replied, he says.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): To encourage their participation the Government are thinking of offering incentives. Some of them are listed below. These are just recommendations which have been made:

(i) Housing be declared as an industry and given the same concessions as are now available to the hotel industry.

(ii) Restricting the construction to houses priced at Rs 12,000 or below.

(iii) Facilities now available for small-scale industries in rural industrial project areas may be extended to small-scale building material industries located in ruarl areas as well as in urban areas

(iv) Deduction from taxable income may be allowed in respect of investment in shares of a company or corporation set up for construction of houses... (*Interruptions*) General housing—I am telling you. The same thing will apply to this thing also.

Then housing co-operatives may be exempted from tax on their incomes if at least 60 per cent of the houses are built at a cost level of Rs. 12,000 or less.

श्री कंवर लाल गुप्त : दिल्ली में करीब दो लाख टेनेमेंट्स की जरूरत है। यह काम वार फुटिंग पर किया जाए तभी पूरा हो सकता है। यह बहुत जटिल समस्या है। पहली सरकार ने तीस हजार टेनेमेंट्स बनाने की योजना बनाई थी लेकिन केवल नौ हजार ही बना पाई थी । आप दस हजार मकान हर साल बनाने की योजना बना रहे है। क्या ये डी० डी० ए० बनाएगा या कारपोरेशन और प्राइवेट ओनर्ज और कोओपेरेटिव्ज वगैरह भी बनाएगी ? किस तरीके से आपने इसको बांटा है ? आपने प्राइवेट बिल्डर्ज को भी कंटैक्ट किया है। उनका क्या रिएक्शन इसके बारे में है ?

श्री सिकन्दर बख्त : प्लानिंग कमीशन ने चाहा है कि चालीस हजार मकानात दिल्ली में बनें। डी० डी० ए० सिर्फ एक एजेंसी है जिस के लिए दस हजार का टारगेट रखा गया है। उसके अलावा सैंट्रल पी० डब्ल्यू० डी० मकानात बना रहा है। रफली उसका भी दस हजार की साल बनाने का प्रोग्राम है। इरादा यह है कि कम से कम तीस हजार का टारगेट पूरा किया जाए जो कि 1972 में गवर्नमेंट का कमिटमेंट था । इसी तरह से

Every effort is being made to encourage construction of dwelling units by Group Housing co-operative societies. That is the third agency. The fourth

agency, as you rightly said, is that we are involving private builders in the construction. We have already had a meeting on the 4th of February and the response has been very encouraging.

इसके अलावा इस पर भी गौर कर रहे है कि क्या यह मुम्किन हो सकता है कि इस्टीट्यूशज लाइफ बैंक्स एण्ड एल० आई० सी० अगर वे अपने एम्प्लायीज के लिए खुद मकान बना सके तो उनको जमीन दी जाए। इस तरह से चालीस हजार का जो टारगेट है उस तक हम पहुंच सकेंगे।

कंवर लाल गुप्त : मैं आपको बधाई देना चाहता हू कि आप काफी जोर से इस काम में लगे हुए है। आप देखें कि एक्सीक्यूशन ठीक से हो इसका। आज डी० डी० ए० के रूल्ज में कई खराबियां है। एक तो यह है कि अगर किसी एक आदमी का किसी मकान में हिस्सा है और वह केवल बीस गज है तो वह डी० डी०ए० का प्लाट या फ्लैट नहीं ले सकता है किसी का एक मकान है तो वह डी० डी० ए० का नही ले सकता है। उसके अलावा लैंड सीलिंग जो है यह भी बाधा है। आपकी कम्पिटियगमी सिविल लाइन्ज में ढाई हजार गज से कम का नक्शा पास नहीं किया जाता है। इस तरह से कई दिक्कतें है। इस सम्बन्ध में आप प्लैनिंग करने के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे है? क्या आपने कारपोरेशन को भी कहा है कि वह अपने स्टाफ के लिए कुछ और मकान बनाए?

श्री सिकन्दर बख्त : हमने कोई ऐसी तजवीज कोरपोरेशन के लिए नही रखी है। लेकिन अगर उनकी ऐसी तजवीज आयेगी तो गौर करेंगे। बाकी जिस किस्म की सिविल लाइन्स वगैरह की जो सूरतेहाल है जो आम तौर पर बिल्कुल कट्रेडिक्शन है लैंड सीलिंग ऐक्ट का उस पर गौर कर रहा है हमारा विभाग।

श्री कंवर लाल गुप्त : किसी का एक हिस्सा है मकान में 20 गज का वह नही ले सकता। इसी तरह से 25 गज आप झुग्गी वालों को देते है जो स्लम बन रहे है, इसके बारे में आप क्या कर रहे है?

SHRI SIKANDAR BAKHT: These are suggestions I would very much like the hon Member to pass them on to us for study

श्री लखन लाल कपूर : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मकान बनाने की जो सरकार की योजना है, मै जानना चाहता हू, जिस तरह से माननीय कंवर लाल गुप्त ने कहा दो लाख टेनेमेंट्स की जरूरत है दिल्ली में क्या यह दो ही लाख है या इससे ज्यादा है?

दूसरी बात यह है कि जनता पार्टी की विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार क्या दिल्ली का भी विकेन्द्रीकरण करने की दिशा में मंत्री महोदय सोच रहे है?

दिल्ली में जो समस्यायें खड़ी हो रही है बड़ा शहर बनाने में तो क्या बड़े शहरों को और बड़ा नहीं बनाने की दिशा में आपने सोचा है कि विकेन्द्रीकरण द्वारा देहातों की तरफ लोगों को ले चलें और जितनी इस वक्त आवश्यकता है उससे आगे नहीं बढ़ने दें।

श्री सिकन्दर बख्त : इस सम्बन्ध में एक सोचने का तरीका यह था कि जो बड़े शहर है उनके साथ सेटेलाइट टाउन्स को डेवेलप किया जाय। उसी किस्म की एक तजवीज देहली के लिए भी थी जिसका नाम नेशनल कैपिटल रीजन रखा गया। मिनिस्ट्री

इस मसले पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है क्योंकि जितना रुपया खर्च हुआ है वह नेशनल कैपिटल रीजन के कंसेप्ट को बिल्कुल प्रोमोट नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि पूरा इलाका नेशनल कपिटल रीजन का एक ऐडमिनिस्ट्रेशन के मातहत नहीं है और उसके कुछ हिस्से दूसरे सर्वो में पड़ते है। तो उसकी वजह से काम ठीक नहीं चलता है, दूसरी स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बहुत सारे ऐसे कदम उठा लेती है जो नेशनल कैपिटल रीजन के कंसेप्ट के बिल्कुल खिलाफ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देहली के दरवाजे पर नोयडा का इंडस्ट्रियल ऐस्टेबलिशमेंट लाकर खड़ा कर दिया है जिसने नेशनल कैपिटल रीजन के विचार को धक्का पहुचाया है। इसलिए मिनिस्ट्री यह सोच रही है और इस पर स्टडी हो रही है कि इस किस्म के छोटे टाउन्स को जो

within computable distance of bigger city

हों और जिन में ग्रोथ का पोटेंशियल मौजूद है वह हडको को कहा गया है कि ऐसे टाउन को आइडेंटिफाई करे और उसमें पूरा इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाये जो दूसरे लोगों को बड़े शहरों मे लाने के लिए बाइस बनता है। यह स्टडी बहुत जोर से चल रही है और मैं उम्मीद करता हू कि इस पर जल्दी अमल होगा।

SHRI B RACHAIAH: May I know how many flats have been allotted to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes applicants out of the total number of houses constructed?

SHRI SIKANDAR BAKHT: I will require a notice for this.

SHRI BALWANT SINGH (Ramoowalia): The Indian immigrants want to construct houses in this country, preferably in Delhi Will the Minister be pleased to state—has he any plan to encourage Indian immigrants to construct houses in Delhi?

SHRI SIKANDAR BAKHT: There was a scheme like this. But it is being studied again. It might be revised.

DDA Flats for MPs

*194. SHRI SHIV SAMPATI RAM: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITAIOTN be pleased to state:

(a) the number of flats offered to Members of Parliament in the draw held for the purpose during 1977-78 by DDA;

(b) the total number of Members of Parliament who had applied for the flats;

(c) when the applications for the draw were first invited from Members of Parliament;

(d) the number of times the last date of receipt of such applications was extended and the particular reasons for which the last date was extended each time; and

(e) the efforts made to allot flats to those Members of Parliament whose name could not come in the drawfor allotment of a flat?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम किशन) : (क) 9.

(ख) 55.

(ग) 28 अप्रैल 1977 से 31 मई, 1977 तक आवेदन मागे गए थे।

(घ) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 6 बार बढ़ाई गई थी। इसके निम्नलिखित कारण थे —

(i) संसद्, महानगर परिषद् तथा दिल्ली नगर निगम के नव निर्वाचित सदस्यों मे विस्तृत प्रचार करने के लिये,

(ii) ससद् सदस्य तथा अन्य लोग राज्य विधान सभाओं के चुनावों में मे व्यस्त थे।

(ड) भविष्य मे जनता मे आवंटन के लिए दिये जाने वाले फ्लैटों मे से उनके कोटे के अनुसार उन्हें आवंटन किये जायेंगे।